न्यायालय नाo तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु.न. 358/18

सरकार बनाम श्री: अर्जुन सिंह S/o हिन्दु सिंह जाति राजपुत

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

निर्णय

दिनांक 09/02/18

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण वृतान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री हिन्दु सिंह जाति राजपुत निवासी कोलूड़ा तहसील महवा ने संवत 2074 फसल रबि / ~~खरीफ~~ मे ग्राम कोलूड़ा की राजकीय आराजी खसरा नं. 326 रकबा 0.03 किस्म गैर मुमकिन रास्ता भूमि से 0.03 रकबा पर अनाधिकृत रूप से पक्का मकान कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहा है अत अतिक्रमी के प्रति एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं । अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.06 का 50 गुना 3.25 राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एंव वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार
महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/घ के पेज नं0 103 पर
वर्ष 2017-18 में ~~पेनल्टी/किस्त नीलामी~~
की राशि लावारी रकमी 3.25 पै0
की जमा कायमी की गई
दिनांक 9/2/18
(हस्ताक्षर)
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील-महवा